

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 460 /2023
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

लालचंद पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. मनोहरी देवी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुपारी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अनकोरी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. धन्वी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. जगदीश पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. इमीचंद पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. ताराचंद पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सन्तलाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. शारदा पत्नी श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. विनोद पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. धर्मवीर पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गीता देवी पुत्री श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. अमरी देवी पत्नी श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. कुन्दलाल पुत्र श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. कालूराम पुत्र श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. रणवीर पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



लगातार --2

2/24/23
24/6
श्री गणेशाय नमः अभियान 2023
सिद्धि लक्ष्मी (SDO)
सिद्धि लक्ष्मी

17. प्रेम कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
19. सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री छिन्न सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. मास्टर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. बिलु सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. पप्पू सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
23. काला सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-



सत्यमेव जयते
राजस्व

वादीगण की ओर से

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से

:- श्री प्रिंस मिद्दा, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 24.6.2023

वादी लालचंद ने प्रतिवादीगण मनोहरी देवी वगैरा के विरुद्ध यह बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 47/16 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 9 एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम के नाम से 2.530 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील ऑनलाईन होते समय उक्त कृषि भूमि इसी चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज हुई। उक्त खाता की समस्त 6.527 है. कृषि भूमि में समस्त खातेदारानों के नाम विलोपित होकर केवल मात्र भालाराम के वारिसान के नाम दर्ज हो गये। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 की संयुक्त खाता की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8, 10 ता 12, 14, 15 व 17 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग जवाब दावा के माध्यम से पूर्व में ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13 व 16 के पक्ष में बंटवारा

लगातार --3

2/2/23
24/6

परिणत न्यायाधीश अभियान 2023

निर्णय स्थान (SDO)

निर्णय स्थान किठवाली

अनुसार कर दिया था इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8, 10 ता 12, 14, 15 व 17 का अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13, 16 व 19 ता 23 का राजीनामा एवं बंटवारा हो गया है। कब्जाकाशत एवं बंटवारा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13, 16, 19 ता 23 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :-


(क) वादी लालचंद पुत्र श्री बुधराम(0.569 है.), प्रतिवादी सं. 4 धन्नी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल(0.632 है.), प्रतिवादी सं. 9 शारदा पत्नी श्री सोहनलाल(0.380 है.), प्रतिवादी सं. 13 अमरी देवी पत्नी श्री भालाराम(0.633 है.), प्रतिवादी सं. 16 रणवीर पुत्र श्री लालचंद(0.316 है.) समस्त जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	21,22/0.253 है.प्र.
137/194	42	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9,12,19/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
138/194	43	11,20/0.253 है.प्र.

(ख) प्रतिवादी सं. 19 सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री छिन्न सिंह(0.810 है.), प्रतिवादी सं. 20 मास्टर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 21 बिलु सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 22 पप्पू सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.759 है.) एवं प्रतिवादी सं. 23 काला सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.810 है.) समस्त जाति मजहबी निवासीगण कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	17/0.253 है., 18/1/0.202 है., 19/0.253 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
137/194	42	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,13,14,17,18/0.253 है.



कुल 3.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के

मूलकाग पत्रों के संग अभिलेखन
मिनिस्टर प्रवर्ती (SDO)
मिनिस्टर स्थल. कि.र.रा.रा.

अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 17, 19 ता 23 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13, 16 व 19 ता 23 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8, 10, 11, 12, 14 व 15 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 18 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13, 16 व 19 ता 23 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8, 10, 11, 12, 14 व 15 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 18 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।



के खाता सं. 47/16 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम के नाम से 2.530 है।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम के नाम से 2.530 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील ऑनलाईन होते समय उक्त कृषि भूमि इसी चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में दर्ज हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13, 16 व 19 ता 23 द्वारा राजीनामा पेश होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 8, 10, 11, 12, 14 व 15 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के

24/6

संग अभियान
SDO
किरगली

जवाब दावे प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी लालचंद पुत्र श्री बुधराम(0.569 है.), प्रतिवादी सं. 4 धन्नी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल(0.632 है.), प्रतिवादी सं. 9 शारदा पत्नी श्री सोहनलाल(0.380 है.), प्रतिवादी सं. 13 अमरी देवी पत्नी श्री भालाराम(0.633 है.), प्रतिवादी सं. 16 रणवीर पुत्र श्री लालचंद(0.316 है.) समस्त जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-


चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	21,22/0.253 है.प्र.
137/194	42	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9,12,19/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
138/194	43	11,20/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 19 सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री छिन्द्र सिंह(0.810 है.), प्रतिवादी सं. 20 मास्टर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 21 बिलु सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 22 पप्पू सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.759 है.) एवं प्रतिवादी सं. 23 काला सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.810 है.) समस्त जाति मजहबी निवासीगण कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	17/0.253 है., 18/1/0.202 है., 19/0.253 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
137/194	42	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,13,14,17,18/0.253 है.प्र. कुल 3.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि




2/16
जिला प्रशासन (SDO)
जिला मुख्यालय, कि.क.राजी

उपरोक्तानुसार तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104 (पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 19 ता 23 एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम एवं छिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज कुल 6.527 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13 व 16 एवं 19 ता 23 को राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम एवं छिन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।


नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



24/6/23
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया कि.क.व.ली



डिस्ट्रिक्ट एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 460 /2023

लालचंद पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. मनोहरी देवी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
2. सुपारी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. अनकोरी पुत्री श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. धन्नी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. जगदीश पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. इमीचंद पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
7. ताराचंद पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
8. सन्तलाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
9. शारदा पत्नी श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
10. यिनोद पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
11. धर्मवीर पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
12. गीता देवी पुत्री श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
13. अमरी देवी पत्नी श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. कुन्दलाल पुत्र श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
15. कालूराम पुत्र श्री भालाराम जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2

प्रमाणित किया गया संगरिया जिला 2023
जिला अधिकारी (SDO)
कीकरवाली

6. रणवीर पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
7. प्रेम कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
9. सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री छिन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. मास्टर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. बिलु सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. पप्पू सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
23. काला सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.


दिनांक :- 24.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री प्रिंस मिद्धा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी लालचंद पुत्र श्री बुधराम(0.569 है.), प्रतिवादी सं. 4 धन्नी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल(0.632 है.), प्रतिवादी सं. 9 शारदा पत्नी श्री सोहनलाल(0.380 है.), प्रतिवादी सं. 13 अमरी देवी पत्नी श्री भालाराम(0.633 है.), प्रतिवादी सं. 16 रणवीर पुत्र श्री लालचंद(0.316 है.) समस्त जाति मेघवाल निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सन्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	21,22/0.253 है.प्र.
137/194	42	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9,12,19/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
138/194	43	11,20/0.253 है.प्र.



(ख) प्रतिवादी सं. 19 सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री छिन्द्र सिंह(0.810 है.), प्रतिवादी सं. 20 मास्टर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 21 बिलु सिंह पुत्र श्री

लगातार -2

24/6
 प्रशासन शाखा
 जिला अधिकारी (SDO)
 जिला मुख्यालय, कीकरवाली

गुरदेव सिंह(0.809 है.), प्रतिवादी सं. 22 पप्पू सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.759 है.) एवं प्रतिवादी सं. 23 काला सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह(0.810 है.) समस्त जाति मजहबी निवासीगण कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
 चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्यत् 2071-74


प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/193	36	17/0.253 है., 18/1/0.202 है., 19/0.253 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
137/194	42	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,13,14,17,18/0.253 है.प्र. कुल 3.997 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 3/104(पुराना खाता सं. 47/16) जमाबन्दी सम्यत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 19 ता 23 एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम एवं छिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज कुल 6.527 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 9, 13 व 16 एवं 19 ता 23 को राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं मृतक बाधु देवी, कृष्णलाल, भालाराम एवं छिन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल बाबत्
 निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 बसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2023 को जारी किया जाता है।



24/6/23
 (रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं जज
 उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
 संगरिया